पत्र संख्या विधि- 4(1)/ 926/1415072 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर
(विधि अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ : दिनांक : सितम्बर 26 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर , वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

विषय : रु050 लाख से अधिक की वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारियों के लिए समेकित विवरणों के अनुलग्नकों (Annexures of Consolidated Details) के आन लाइन प्रस्तुतीकरण को अनिवार्य किए जाने के संबंध में :

अधिसूचना संख्या क0नि0-2-684 /ग्यारह-9(295)/07-यू.पी.वैट नियमावली-08-आर्डर-(114)-2014 दिनांक 27 जून, 2014 द्वारा समेकित विवरणों के अनुलग्नकों (Annexures of Consolidated Details) के प्रारूप तथा प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्राविधान उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 45 के उपनियम (7) में संशोधन करते हुए किए गए हैं तथा यह प्राविधानित किया गया है कि इन अनुलग्नकों को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम टैक्स पीरियड के रिटर्न के साथ अथवा अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किया जा सकता है ।

शासन के पत्रांक क0नि0-1072/ग्यारह-2-2014-9(125)/09 दिनांक 24.12.2014 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे व्यापारी जिनके लिए आन लाइन रिटर्न दाखिल किया जाना अनिवार्य है, उनके लिए समेकित विवरणों का अनुलग्नक (Annexures of Consolidated Details) भी आन लाइन दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा ।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

26.9.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।